(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 7021-पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 04-12-2015 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, धार प्रकरण क्रमांक 25/2012-13/धारा 33

मेसर्स कमर्शियल इंजीनियर्स एण्ड
बॉडी बिल्डर्स, कंपनी लिमिटेड तर्फे
अभिषेक जायसवाल
निवासी - 34/105-ए, जी.टी. रोड़
कानपुर (उत्तरप्रदेश)

.....आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. औद्योगिक विकास निगम,(इन्दौर)
   लिमिटेड इन्दौर
2. म.प्र. शासन द्वारा उपपंजीयक, धार

.....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमंत मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, धार द्वारा पारित दिनांक 04-12-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमर्शियल इंजीनियर्स एण्ड बॉडी बिल्डर्स, कंपनी द्वारा संशोधित लीज रूपये 100/- के स्टाम्प पर निष्पादित कर, पंजीयन हेतु उप पंजीयक धार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उप पंजीयक द्वारा अधिनियम की धारा 33 के

अंतर्गत दस्तावेज का स्वरूप निर्धारण एवं उस पर मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला धार को प्रेषित किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/2012-13/धारा 33 दर्ज कर दिनांक 04-12-2015 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 75,37,057/- तथा अधिनियम की धारा 40(ख) के तहत शास्ति रूपये 25,000/- अधिरोपित की जाकर कुल रूपये 75,62,057/- जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के लीज डीड में संशोधन दस्तावेज को अधिनियम की अनुसूची 1 (क) के अनुच्छेद 33 अनुसार लीज डीड का नवीनीकरण मानकर आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, जबकि उक्त लीज डीड संशोधन मात्र कंपनी के नाम परिवर्तन होकर कंपनी के ढांचे या गठन में कोई फेर बदल नहीं होने से अनुच्छेद 33 के नियम उक्त दस्तावेज पर लागू नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तौर पर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।
2. अधीनस्थ विद्वान न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 47-ए के प्रावधानों तथा म.प्र.लिखितो का न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, नियम 1975 के नियम 3 (1) का सही अर्थ नहीं निकालते हुए अवैधानिक आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में नई लीज डीड अनुसार महानिरीक्षक पंजीयन म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 1338/48/सुझाव/तक/2004 भोपाल दिनांक 12-04-2004 अनुसार आवेदक के दस्तावेज पर शुल्क अधिरोपित करने में त्रुटि की है, जबकि उक्त पत्र के सरल क्रमांक 1 में स्पष्ट उल्लेखित है कि औद्योगिक इकाई के गठन में कोई परिवर्तन नहीं होने की दशा में जहां केवल इकाई का नाम परिवर्तन होता है उक्त संशोधन अनुबंध पत्र रूपये 100/- पर निष्पादित किया जावेगा एवं उसमें अंतरण विलेख की आवश्यकता नहीं होगी ।
4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कंपनी एक्ट 1926 की धारा 21 पर बिना कोई विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की है ।
5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधन लीज डीड में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि All other terms and condition of

original lease deed executed on dated 01-04-2008 shall be binding on both the parties जिससे स्पष्ट है कि आवेदक कंपनी के ढांचे एवं गठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर नवीन लीज डीड अनुसार स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करने में त्रुटि की है ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस वैधानिक तथ्य पर कोई विचार नहीं किया कि आवेदक कंपनी द्वारा रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 अनुसार कंपनी के गठन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में धारा 17 के अनुसार उक्त कंपनी के नाम संशोधन करने से किसी भी प्रकार का कोई राईट टायटल परिवर्तित नहीं होते हैं, अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज के माध्यम से इकाई के गठन एवं ढांचें में परिवर्तन किया जा रहा है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विवेचना उपरांत स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए मुद्रांक शुल्क निर्धारित कर शास्ति अधिरोपित किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बोलता हुआ सकारण आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन लीज डीड संशोधन दस्तावेज के माध्यम से आवेदक कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड से, लिमिटेड में परिवर्तित हो रही है, जिससे कम्पनी के गठन व ढांचे में सारभूत परिवर्तन हो रहा है । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा उप पंजीयक से स्थल निरीक्षण कराया गया है, जिसमें स्थल पर 454 वर्गमीटर पर आर.सी.सी. एवं 905 वर्गमीटर पर टीन शेड का निर्माण पाया गया है । अत: कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की अनुसूची 1 (क) के अनुच्छेद 33 अनुसार प्रश्नाधीन दस्तावेज को नवीन लीज डीड मानकर वर्ष 2012-13 की मार्गदर्शिका के अनुसार प्रश्नाधीन विलेख पर रूपये 75,37,157/- मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया जाकर, कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 75,37,057/- एवं अधिनियम की धारा 40(ख) के तहत शास्ति रूपये 25,000/- अधिरोपित कर कुल रूपये 75,62,057/- जमा करने के आदेश दिये गये हैं, जो कि विधिसंगत

आदेश है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-12-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर